



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-19112025-267803
CG-MH-E-19112025-267803

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5101]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 18, 2025/कार्तिक 27, 1947

No. 5101]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 18, 2025/KARTIKA 27, 1947

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

शुद्धिपत्र

(ई-गजट अधिसूचना संख्या 2004 दिनांक 08 मई 2025 के संबंध में, नीचे उल्लिखित अनुच्छेद को पिछली अधिसूचना में सही विवरण के रूप में माना जायेगा)

मुंबई, 13 नवम्बर, 2025

रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 की धारा 7A के तहत

का.आ. 5272(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (7 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में उल्लिखित तालुका के संबंध में, “मध्य रेलवे के अंतर्गत “भुसावल मंडल के इगतपुरी-भुसावल खंड के बीच चालीसगांव-वागली ब्लॉक खंड, रेलवे किमी 330/8-10, लेवल क्रॉसिंग गेट संख्या 120 के स्थान पर आरओबी का प्रस्तावित निर्माण” की विशेष रेल परियोजना के भूमि अधिग्रहण करने हेतु महाराष्ट्र राज्य के जलगांव जिला में निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और संचालन के लोक प्रयोजन के लिए नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे प्राधिकारी के रूप में कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

क्रम संख्या	सक्षम प्राधिकारी	तालुका	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)
	उपविभागीय अधिकारी चाळीसगांव, भाग चाळीसगांव	चाळीसगांव	जलगांव

[फा. सं. G197/ROB&RUB (04 Nos.)/Chalisgaon/7A/RSP/Corrigendum]

अवनीश कुमार पाण्डेय, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Central Railway)

CORRIGENDUM

(IN REGARD TO E-GAZETTE NOTIFICATION NO.2004 DATED 08 May 2025, THE PARA MENTIONED BELOW SHOULD BE TREATED AS CORRECTED DETAILS IN PREVIOUS NOTIFICATION)

Mumbai, the 13th November, 2025

Under clause 7A of the Railway (Amendment) Act, 2008

S.O. 5272(E).—In exercise of the powers conferred by clause (7A) of Section 2 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to the Railway (Amendment) Act 2008 (No.11 of 2008), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the table below as “**Competent Authority**” to perform the functions as such authority under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette in respect of the special railway project “**Proposed construction of ROB in lieu of Level Crossing Gates no. 120, Railway Km 330/8-10, block section Chalisgaon- Vagali between Igatpuri- Bhusawal section of Bhusawal Division**” Taluka Mentioned in Column (3) of the said table for the public purpose of execution maintenance, Management and operation of such special Railway Project.

Table

Sr. No	Competent Authority	Taluka	District
(1)	(2)	(3)	(4)
	Sub-Divisional Officer Chalisgaon, Division Chalisgaon	Chalisgaon	Jalgaon

[F. No. G197/ROB&RUB (04 Nos.)/Chalisgaon/7A/RSP/Corrigendum]

AVANISH KUMAR PANDEY, Chief Administrative Officer (Construction)